

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

—ऽज्ञापनऽ—

1. कार्य प्रमंडल, वीरपुर अंतर्गत PMGSY अंतर्गत Chhitahi Kanai Gopalpur (19th K.M Koshi Bandh) (BR-35R-028), Sourajan To Thalha (BR-35R-035), Sripur to Mansapur (Package no- BR-35R-033) एवं Shiv nagar to Kataiya (Package no- BR-35R-021) में श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, सीवान-1 द्वारा अनुरक्षण कार्य का मापीपुस्त में प्रविष्टी क्रमशः दिनांक 01.06.2017, 04.06.2017, 18.06.2017 एवं 06.06.2017 को किया गया है। समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि अनुरक्षण कार्य का मापीपुस्त पाँच वर्षों के लिये एक साथ अनुरक्षण अवधि में प्रविष्ट करते हुये एकमुस्त तैयार किया गया है, जो PMGSY के मानक निविदा अभिलेख की कंडिका 39.4 के निहित प्रावधान के विरुद्ध है।

2.. श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, सीवान-1 पर उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में आरोप-पत्र गठित किया गया है तथा प्रतिवेदित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन जाँच का प्रस्ताव है।

3. उक्त आरोपो से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुये श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, सीवान-1 से यह अपेक्षा की जाती है की अधिकतम एक पक्ष के अंदर अपने बचाव का लिखित अभिकथन अवश्य प्रस्तुत करें।

4. श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, सीवान-1 को सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपो के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन उपर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तब विभागीय जाँच एकपक्षीय/उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर कर ली जायेगी।

कृपया इस ज्ञापन की प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

विश्वरामभाजन

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञाप सं०:- 2/अ0प्र0-1-72/2023

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता प्रयोगशाला, सीवान-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

२५/१२/२०२३

ज्ञाप सं०:- 2/अ०प्र०-1-72/2023 3771/2023 पटना, दिनांक:- 3.12.23

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर/ कार्यपालक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता प्रयोगशाला, सिवान-1/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, ग्रामीण कार्य विभाग/ आईटी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव 28/3/25

बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली 2017 के आलोक में श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन।

भाग-1- आरोपित सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

आरोप पत्र

1. नाम :- श्री मंगल मंडल
2. पदनाम :- सहायक अभियंता
3. जन्म तिथि :- 01.12.1978
4. सेवानिवृत्ति की तिथि :- 30.11.2038
5. सेवा/संवर्ग का नाम :- बिहार अभियंत्रण सेवा
6. पद समूह एवं विभाग :- ग्रामीण कार्य विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक :-
8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर :-
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन :- 2017-18/ कार्य प्रमंडल, वीरपुर
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी)
के तहत कालबाधित होने की तिथि :- लागू नहीं है


(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

भाग-2-अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. कार्य प्रमंडल, वीरपुर अंतर्गत PMGSY अंतर्गत Chhitahi Kanai Gopalpur (19th K.M Koshi Bandh)(BR-35R-028), Sourajan To Thalha (BR-35R-035), Sripur to Mansapur (Package no- BR-35R-033) एवं Shiv nagar to Kataiya (Package no- BR-35R-021) के अनुरक्षण कार्य की मापी पाँच वर्षों के लिये एक साथ प्रविष्ट करते हुये एकमुस्त तैयार किया गया है, जो PMGSY के मानक निविदा अभिलेख की कंडिका 39.4 के निहित प्रावधान के विरुद्ध है।
2. उक्त से स्पष्ट है कि श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियन्ता सम्प्रति सहायक अभियन्ता द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) का उल्लंघन है।


(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

भाग-3-अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

आरोप-

1. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर के पत्रांक 203 दिनांक 23.02.2025 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं संलग्न मापीपुस्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य प्रमंडल, वीरपुर अंतर्गत PMGSY अंतर्गत Chhitahi Kanal Gopalpur (19th K.M Koshi Bandh)(BR-35R-028), Sourajan To Thalha (BR-35R-035), Sripur to Mansapur (Package no- BR-35R-033) एवं Shiv nagar to Kataiya (Package no- BR-35R-021) में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य में मापीपुस्त की प्रविष्टी क्रमशः दिनांक 01.06.2017, 04.06.2017, 18.06.2017 एवं 06.06.2017 को किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि अनुरक्षण कार्य का मापीपुस्त पाँच वर्षों के लिये एक साथ अनुरक्षण अवधि में प्रविष्ट करते हुये एकमुस्त तैयार किया गया है, जो PMGSY के मानक निविदा अभिलेख की कंडिका 39.4 के निहित प्रावधान के विरुद्ध है।
2. उक्त से स्पष्ट है कि श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियन्ता सम्प्रति सहायक अभियंता द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

भाग-4-(क) साक्ष्यों/दस्तावेजों की सूची

क्र० सं०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर का पत्रांक 203 दिनांक 23.02.2023 तथा बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, बिहार, पटना का पत्रांक 880 दिनांक 12.03.2018 एवं पत्रांक 1153 अनु० दिनांक 06.05.2021 की छायाप्रति।	कुल-34 पृष्ठ


(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

भाग-4-(ख) साक्षियों/गवाहों की सूची

- (i) श्री कुलानन्द यादव, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर।


(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव